अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मनीष कुमार, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० श्री संतोष कुमार निराला, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अरूण माँझी, स०वि०स०	"पटना जिलान्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना प्रमण्डल-1 के अधीन लोहियानगर कंकड़बाग, ओल्ड बाईपास मेन रोड स्थित भू-खण्ड संख्या-G/627 पर और G/626 एवं G/627, खेसरा नं०-775 से सटे पश्चिम स्थित आवास बोर्ड के ले-आउट प्लान के अनुसार खाली भू-खण्ड का बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना द्वारा किसी प्रकार का आंवटन नहीं हुआ है, इसके बावजूद आवास बोर्ड के विभागीय कर्मियों एवं भू-माफियाओं की मिली भगत से श्री अमित डालमिया नामक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त भू-खण्ड पर अतिक्रमण कर मकान का अवैध निर्माण कार्य कराया गया है । सरकारी भू-खण्ड पर अवैध निर्माण होना, विभागीय संलिप्तता, विभागीय कार्य शिथिलता में लापरवाही पर भी सवाल खड़ा करता है । अतएव उपरोक्त भूमि पर हुए अवैध मकान निर्माण को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने एवं संबंधित भूमि को आवास बोर्ड के कब्जे में लेने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।"	नगर विकास एवं आवास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**श्री रत्नेश कुमार,** **स०वि०स०** श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री संजय कुमार, स०वि०स० श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स० श्री रोहित पाण्डेय, स०वि०स०	"अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक-27.01.2014 को पारित अधिसूचना के द्वारा सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है । इसके बावजूद बिहार में सिख समाज को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र मुहैया नहीं कराया जाता है । साथ ही साथ आर.टी.पी.एस. के अधीन आने वाले सुविधाओं में सिख का कोई कॉलम नहीं है, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन सहित अन्य लाभ से वंचित रहते हैं। अत: सिख समुदाय को भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सभी तरह के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार सिख समाज को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।"	**अल्पसंख्यक कल्याण**

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-10/2026- 81 /वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-10/2026- 81 /वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-10/2026- 81 /वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **नगर विकास एवं आवास विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-10/2026- 81 /वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

16.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

16.02.26